उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-83/2015/5184/62-2-2015-2/4(52)/2014
लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई,2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नियमित चयनोपरान्त उनके पत्र सं0-150(v)/3/पी/एस-12/2014-15, दिनांक 18-06-2015 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर लघु सिंचाई विभाग के निम्नलिखित अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई (पे बैण्ड-3 सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपद में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	अभियंता का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	पदोन्नति के पश्चात तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1-	केशव राम	गोण्डा	बलिया
2-	शिव गोविन्द	सीतापुर	बहराइच
3-	जगदीश चन्द्र लाभियान	बरेली	बिजनौर
4-	राम करन	फैजाबाद	लघु सिंचाई प्रकोष्ठ मुख्यालय, लखनऊ
5-	गजराज बहादुर आर्य	हरदोई	हमीरपुर
6-	कौशल किशोर	झॉसी	लघु सिंचाई मुख्यालय, लखनऊ
7-	प्रेम किशोर	मथुरा	हाथरस
8-	देव राज त्यागी	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	गौतमबुद्धनगर
9-	राम बचन यादव	आजमगढ	गोण्डा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10-	उमाकान्त तिवारी	गाजीपुर	शामली
11-	चिरंजीवी लाल	गाजीपुर	खीरी
12-	मोती लाल	बस्ती	मऊ

2, उक्त नव प्रोन्नति प्राप्त सहायक अभियंताओं की नियमानुसार परस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

ह0/
चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-83/2015/5184(1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को लोक सेवा आयोग के पत्र सं0-150(v)/3/पी/एस-12/2014-15, दिनांक 18-06-2015 के संदर्भ में।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
5- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- संबंधित सहायक अभियंता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in